चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गन्ना किसानों का बकाया चुकाने को घोषित राहत पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर अब तक सिर्फ 1,800 करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं। इन मिलों के ऊपर करीब 7,000 करोड़ रुपये का बकाया है। इस साल जनवरी में सरकार ने मिलों को इस संकट से बाहर निकालने के लिए घोषित पैकेज में बैंकों से ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने का एलान किया था।

गन्ना मूल्य के बकाया को लेकर चीनी मिलों का संकट गहराने के बाद इस साल तीन जनवरी को केंद्र सरकार ने मिलों को वित्तीय सहायता योजना की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत मिलों को 12 फीसद या बैंकों की ब्याज दर (जो भी कम हो) की सब्सिडी उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। संसद में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई, 2014 तक कुल 356 चीनी मिलों को 5,914.40 करोड़ रुपये के कर्ज स्वीकृत किए गए हैं। इनमें यूपी की 75 मिलों को 1,779.44 करोड़ रुपये का लोन वितरित किया जा चुका है। इस राज्य की 91 मिलों ने 2,676.75 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए आवेदन किया है। महाराष्ट्र की 127 मिलों ने 2,419.52 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए आवेदन किया है।

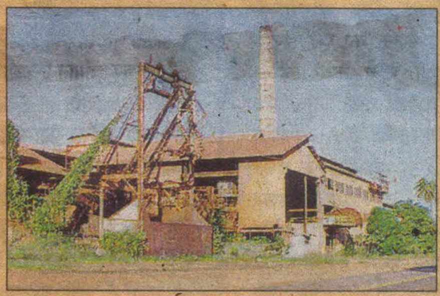

मिली मदद

- गन्ना मूल्य चुकाने को केंद्र ने किया था राहत पैकेज का एलान
- राज्य की मिलों पर किसानों का 7,000 करोड़ रुपये बकाया

Dainik Jagran

3/8/14